System Officer

कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / रिमाण्ड ड्यूटी / 2025 / 19 दिनांक :– 28.07.2025

:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **अगस्त 2025 व सितम्बर 2025** की अवधि के लिए कॉलम संख्या 2 अंकित अवकाश की दिनांकों में संपूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के लिए समस्त प्रकृति के फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन, **प्रशासनिक कार्य** व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्यों की सुनवाई करने हेतु कॉलम संख्या–3 में अंकित पीठासीन अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

क्रम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम एवं पद
1	03.08.2025	श्रीमती प्रतिभा सिंह राठौड़, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–1, अजमेर
2	09.08.2025 व 10.08.2025	श्रीमती कोमल भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–04, अजमेर
3	15.08.2025, 16.08.2025 एवं 17.08.2025	श्रीमती पूर्णिमा शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्या–05, अजमेर
4	23.08.2025 व 24.08.2025	श्री मनमोहन चन्देल, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–02, अजमेर
5	31.08.2025	श्रीमती तृप्ति जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–03, अजमेर
6	02.09.2025	श्रीमती बबीता वर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर दक्षिण, अजमेर
7	05.09.2025 व 07.09.2025	श्रीमती भावना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–06, अजमेर
8	13.09.2025 व 14.09.2025	श्रीमती हिमानी जैन, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–2, अजमेर
9	21.09.2025 व 22.09.2025	श्री नवीन मीणा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–3, अजमेरश्री
10	27.09.2025 व 28.09.2025	श्री चार्विन बागमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्या–01, अजमेर
11	30.09.2025	श्री विजेन्द्र कुमार मीणा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–4, अजमेर

नोट :–

01 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र कमांक No. 14/P.L./2025 Date 09-07-2025 में दिये गये बिन्दू संख्या 03 की पालना सुनिश्चित करें।

02 उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्यदिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।

03 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे एवं शेष समय के लिए अपने निवास से उपरोक्त कार्य निष्पादित करेंगे।

संलग्न :– परिपत्र दिनांक 09.07.2025 की फोटो प्रति

(प्रकाश चन्द्र मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर

28.07.2025
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांकः— 2348—2366 दिनांक :— 28.07.2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :—

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर मुख्यालय।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, अजमेर।
5. उप निदेशक, अभियोजन, अजमेर।
6. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अजमेर आज ही सभी थानों पर संदेश प्रसारित करे।
7. प्रोटोकाल आफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर।
8. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पूल वाहन, अजमेर।
10. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा, अजमेर।

28.07.2025

(प्रकाश चन्द्र मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

::CIRCULAR::

No. 14/P.I./2025 Date: 09.07.2025

It has come to the notice that more than one Magistrates are deployed for remand duties on holidays in various Talukas of single judgeships. In addition to the Magistrates, Additional District Judges are also deployed for remand duties on holidays. The practice has no legal sanction and against the welfare of Officers.

Therefore, it is enjoined upon all the District & Sessions Judges/ Chief Judicial Magistrates that as far as possible following directions be complied with:-

1. The tendency of multiple remand duties on different Taluka headquarters of same Judgeship is disapproved. In the ordinary course of matters, the remand duty should be fixed on Judgeship headquarters only.
2. There should be only one Magistrate on remand duty on regular holidays. In case of heavy workloads in Metropolitan Judgeships adequate number of Magistrates may be placed on remand duty during holidays.
3. The tendency of remand duty of Special Judges/Addl. District Judges on regular holidays (except Vacation duty) is disapproved. First remand order in such matters may be passed by the Remand Magistrate on duty.
4. It is made clear regarding the subsequent remands that they should not be fixed for any holiday or vacation. Next date of subsequent remands should be fixed with regard to working days only.
5. In case of any unforeseen emergency holidays, District & Sessions Judge shall make adequate and effective arrangement for remands. In such a contingency one Magistrate and one Addl. District Judge may be deputed for extending the regular remands.

BY ORDER

Uranchal 9/7

REGISTRAR GENERAL

No. Gen/XV/85/2025/1250 Date:09.07.2025

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. All the District & Sessions Judges, Rajasthan.
2. All the Chief Judicial Magistrates, Rajasthan.

Uranchal 9/7

REGISTRAR GENERAL